9

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 89/2021 बउनवानी राजकुमार नावरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर
पुत्र श्री रमेश चन्द नावरिया, ग्राम व पोस्ट व तहसील मलारना डूँगर

GCMS No-2021/276

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
24.11.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 18.8.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. प्रार्थी की जमीन जिसके पुराने खाता संख्या 866 एंव नया खाता संख्या 507 एवं नामा0 संख्या 5305 दिनांक 20.9.2019 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की जमीन को प्रार्थी के सगे संबंधियों एवं कुटुम्ब कबीलो के खाते लगाने का आदेश राजस्व विभाग द्वारा आपके पास हो तो आदेश की प्रमाणित सूचना और राजस्व विभाग द्वारा आपके पास आदेश नही हो तो आदेश नही होने की सूचना 2. नामा0 संख्या 5305 दि0 20.9.19 के द्वारा प्रार्थी के नाम खातेदारी की जमीन मे आपको स्टे लगाने का अधिकार कौन से आदेश है उस आदेश की प्रमाणित सूचना ओर अधिकार नही है तो नही होने की सूचना। 3. नामा0संख्या 5305 दिनांक 20.9.2021 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की जमीन का प्रकरण आपने दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की है कौनसे आदेश से की है उस आदेश की प्रमाणित सूचना तथा प्रार्थी ने इस प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण फाईल नोटिस की प्रमाणित सूचना। 4. अब तक आपके द्वारा कितने खातेदारी की जमीन को अन्य व्यक्तियो के नाम खते लगाये इन सभी के नाम पते सहित की सूचना 5. नामा0संख्या 5305 दिनांक 20.9.2021 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी की जमीन को कब तक प्रार्थी के कुटुम्ब कबिलो के खाते लगाओगे जिसकी सूचना और खाते नही लगायेगें तो नही लगाने की सूचना ओर आपके द्वारा दूसरों के खाते लगाने के पश्चात प्रार्थी के पास कितनी भूमि शेष रहेगी की सूचना तथा नक्शा ट्रेस की सूचना देवे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूकाअ/2021/194 दिनांक 8.11.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.8.2021 में चाही गयी सूचना के क्रम में उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के पत्रांक 2589 दिनांक 23.9.2021 से अपीलान्ट को बिन्दुवार वस्तुस्थिति से सूचित किया जा चुका है कि सूचना का अधिकार अधि.,2005 के प्रावधानो के तहत सूचना क्रियेट करने का प्रावधान नही है और ना ही प्रश्नोत्तरी का जवाब दिये जाने का नियम है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.8.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके संबंध मे उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा जरिये पत्रांक 2589 दिनांक 23.9.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। चूंकि चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने तथा सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर